असिंचित भूमि के लिए सिंचाई परियोजनाएं

452. **लाला लाजपत राय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्यवार कुल कितनी भूमि असिंचित और कृषि उपज हेतु अयोग्य पायी गयी;

(ख) प्रत्येक राज्य में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर कुल कितने क्षेत्रफल को इस प्रकार की सुविधा से वंचित पाया गया;

(ग) ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए योजना आयोग और मंत्रालय के समन्वय से किये प्रयासों का अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा ऐसी भूमि पर सिंचाई परियोजना को लागू करने के लिए भेजे गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष किए गए सर्वेक्षण तथा वर्ष 1995-96 से संबंधित उपलब्ध नवीनतम भूमि उपयोग आंकड़ों के आधार पर भूमि. उपयोग आंकड़े प्रकाशित किए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर असिंचित क्षेत्र तथा वर्ष 1995-96 (नवीनतम) में कृषि उत्पादन के लिए अयोग्य क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) सिंचाई के अंतर्गत और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने की दृष्टि से योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 17.05 मिलि० हैक्टे० अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य तैयार किया है, जिसमें वृहद एवं मध्यम सिंचाई से 9.81 मिलियन हैक्टे० और लघु सिंचाई से 7.24 मि०हे० क्षेत्र शामिल है। उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षेत्र तथा लघु सिंचाई क्षेत्र के लिए क्रमशः 43035 करोड़ एवं 9315 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित किया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार वर्ष 1996-97 में प्रारंभ किए गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत चुनिन्दा चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराना जारी रखेगी जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्यवार निवल सिंचित क्षेत्र (एनआईए), निवल बुआई क्षेत्र (एनएसए), असिंचित क्षेत्र एवं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि का विवरण

(हजार हेक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निवल बुआई क्षेत्र (एनएसए)	निवल सिंचित क्षेत्र (एनआईए)	असिंचित क्षेत्र कालम (3) कालम (4)	कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि			कुल
					बंजर एवं कृषि अकृष्य	योग्य बंजर	पुरानी परती	
1.	आंध्र प्रदेश	10637	4123	6514	2506	785	1696	4987
2.	अरूणाचल प्रदेश	185	36	149	48	—	36	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	2780	572	2208	1429	91	70	1590
4.	बिहार	7321	3680	3641	1010	365	973	2348
5.	गोवा	139	23	116	—	58	—	58
6.	गुजरात	9609	3002	6607	2605	1977	28	4610
7.	हरियाणा	3586	2761	825	94	23	—	117
8.	हिमाचल प्रदेश	568	101	467	149	118	21	288
9.	जम्मू व कश्मीर	734	386	348	291	141	7	439
10.	कर्नाटक	10420	2302	8118	799	442	444	1685
11.	केरल	2265	342	1923	43	74	29	146
12.	मध्य प्रदेश	19752	5928	13824	1745	1460	791	3996
13.	महाराष्ट्र	17911	2567	15344	1712	890	1115	3717
14.	मणिपुर	140	65	75	1419	—	—	1419
15.	मेघालय	206	45	161	145	475	165	785
16.	मिजोरम	109	7	102	45	174	162	381
17.	नागालैंड	211	62	149	—	74	97	171
18.	उड़ीसा	6210	2090	4120	553	435	354	1342
19.	पंजाब	4139	3847	292	89	24	12	125
20.	राजस्थान	16575	5232	11343	2657	5104	1972	9733
21.	सिक्किम	95	16	79	173	1	9	183
22.	तमिलनाडु	5342	2625	2717	490	348	1130	1968
23.	त्रिपुरा	277	35	242	—	1	1	2
24.	उत्तर प्रदेश	17399	11675	5724	973	960	856	2789
25.	पश्चिम बंगाल	5462	1911	3551	41	58	31	130
	कुल राज्य	**142072**	**53433**	**88639**	**19016**	**14078**	**9999**	**43093**
	कुल संघ शासित क्षेत्र	**143**	**75**	**68**	**14**	**24**	**14**	**52**
	कुल योग	**142215**	**53308**	**88707**	**19030**	**14102**	**10013**	**43145**

टिप्पणी: आंकड़े वर्ष 1995-96 (नवीनतम) के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भूमि उपयोग आंकड़े के अनुसार है जो अनन्तिम है।

विवरण-II

500 करोड़ रु० अथवा इससे अधिक की लागत वाली चुनिन्दा चल रही सिंचाई बहुउद्देश्यी परियोजनाओं तथा ऐसी परियोजनाएं जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं अथवा जो निर्माण की उन्नत अवस्था में है तथा जिन्हें थोड़ी सी अतिरिक्त निधियां प्रदान करके पूरा किया जा सकता हो उनको शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्यों को 50% मैचिंग आधार पर ऋण के रूप में निधियां प्रदान की जाती हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को केन्द्रीय ऋण सहायता राज्य से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस वचनबद्धता पर दी जाती है कि सम्बद्ध राज्य अपने हिस्से का निवेश करेंगे। जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता एवं लाभान्वित परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ रु० में) बजट आवंटन	जारी राशि	लाभान्वित परियोजनाओं की संख्या (संचयी)
1996-97	500.00	500.00	52
1997-98	1300.00	952.19	80
1998-99	1500.00	679.43	93 (15.2.99 तक)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत लाभान्वित परियोजनाओं के माध्यम से सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अब तक लगभग 219027 हैक्टे० है।

National Commission for Integrated Water Resource Development

453. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a National Commission for Integrated Water Resource Development has been set up;

(b) if so, whether an integrated Water Plan for development of water resources for Drinking, Irrigation, Industrial, Flood Control and other uses has been prepared;

(c) whether modalities for transfer of surplus water to water-deficit basin by inter-linking of rivers has been suggested by the National Commission;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the details of the important ongoing projects with their present status?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) to (e) Ministry of Water Resources has set up a National Commission for Integrated Water Resources Development Plan on 13.9.96. The terms of reference of the National Commission interalia include to suggest modalities for transfer of surplus water to water deficit basin by inter-linking of rivers for achieving the objective of peparing an integrated water plan for development of water resources for Drinking, Irrigation, Industrial, Flood Control and other uses. The Commission has not submitted its report.